मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

क्रमांक 458/593/2020/38-2 भोपाल, दिनांक 31/03/2020

कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 585/597/2020/38-3 भोपाल, दिनांक 21/03/2020 द्वारा प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय एवं समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में दिनांक 31/03/2020 तक अवकाश घोषित किया गया था।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश क्रमांक 40-3/2020-डी दिनांक 24/03/2020 एवं मुख्यसचिव मध्यप्रदेश शासन के निर्देश दिनांक 28/03/2020 के परिपालन में प्रदेश के समस्त पारंम्परिक/निजी विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय/शासकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम के लिए दिनांक 14/04/2020 तक बंद रहेंगे।

समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्य से सम्बद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय में ही रहेंगे तथा मोबाइल/दूरभाष पर अनिवार्य रूप से संस्था प्रमुख के सम्पर्क में रहेंगे।

(अजीत कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 459/593/2020/38-2 भोपाल, दिनांक 31/03/2020

प्रतिलिपि -

1. सचिव मान. राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. उपसचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. वि..क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग